सत्र प्रकरण क्रमांक–237/2019 (छ0ग0 शासन विरूद्ध उमेश रगड़े व अन्य)

Witness No.....**2**.....for..... अभियोजन .....Deposition taken on the.. 20-07-2022 .day of ...बुधवार.... Witness's apparent age..... 54yrs.....

States on affirmation.....शपथपूर्वक.....My name is...सुरेश मंधानी

S/ of ..... स्व. श्री अमर लाल मंधानी .....Occupation.... व्यवसाय

Address.....सदर बाजार भाटापारा जिला–बलौदाबाजार छ0ग0

Time-02:55 PM

/मुख्य परीक्षण द्वारा श्री राकेश सिंह, अपर लोक अभियोजक वास्ते अभियोजन/

1– मैं न्यायालय उपस्थित आरोपी आकाश दुबे, अमित शर्मा एवं दुर्गेश एवं अनुपस्थित उमेश रगड़े को नहीं जानता हूँ और मृत आरोपी आशीष दुबे को भी नहीं जानता हूँ।

2– मैं मनोज निहचलानी को भी जानता हूँ, वह मेरे यहां काम करता था। मनोज निहचलानी अपने काम से रायपुर आते जाते रहता था। घटना लगभग 10 वर्ष पूर्व की है। मैं जमीन लेनदेन व दलाली का काम भाटापारा में करता था। मनोज भी मेरे यहां काम करता था। मुझे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने मुझसे कोई पुछताछ नहीं किया था। साक्षी स्वतः कहता है कि पुलिस ने मुझसे फोटो लिया था।

टीपः– इसी स्तर पर श्री राकेश सिंह, अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर साक्षी से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले स्वरूप के प्रश्न पूछने की अनुमति का निवेदन किया, अभिलेख का अवलोकन किया गया, विचार पश्चात् अनुमति प्रदान की गयी।

3– यह कहना सही है कि मनोज निहचलानी तिल्दा कैम्प में रहता था। यह कहना गलत है कि मैंने रायपुर के एक प्रापर्टी डिलर को जमीन लेन–देन संबंधी 2,50,000/–रूपये देने के लिये एक थैले में मनोज को डालकर दिया था। यह कहना गलत है कि दिनांक 21.12.2012 को मैंने मनोज को पैसे लेकर रायपुर भेजा था। यह

कहना गलत है कि मैंने जिस व्यक्ति को मनोज को रकम देकर भेजा था वह व्यक्ति नहीं मिला, उसके पश्चात मनोज 2,50,000/–रूपये लेकर तेलघानी चौक में अपने भाई जीतु से बातचीत किया था। यह कहना गलत है कि मनोज बातचीत करने के बाद पैदल रेल्वे स्टेशन आते समय गुरूद्वारे के पास रात्रि में 7–8 व्यक्ति मिलकर मनोज को डरा धमका कर रकम की मांग किये थे।

4– यह कहना गलत है कि मनोज द्वारा इंकार करने पर पुलिस थाने में बंद कर देने की धमकी देने पर मनोज द्वारा थैले में रखे मोबाइल एवं 2,50,000/–रूपये आरोपियों को दे दिया था। यह कहना गलत है कि मनोज द्वारा मुझे यह भी बताया गया था कि उक्त रकम आरोपियों को नहीं दिया होता तो मेरी जान को खतरा था।

5– यह कहना गलत है कि मनोज ने मुझे यह भी बताया था कि मैंने डर और सदमें से रकम को दे दिया था। यह कहना गलत है कि मनोज द्वारा मुझे दूसरे दिन घटना के बारे में जानकारी दिया था। यह कहना गलत है कि मनोज ने मुझे यह भी बताया था कि रकम प्राप्त करने वाले लोगों का नाम उमेश, दुर्गेश, आकाश, अमित, अभिषेक, नितेश, आशीष व राहूल था। यह कहना गलत है कि मैंने मनोज को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिये सलाह दी थी।

6– साक्षी को उसका धारा 161 दं0प्र0सं0 का बयान **प्रदर्श पी–5** के अ से अ भाग ''जिसे रायपुर के .....सलाह दिया था।'' को पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर साक्षी ने व्यक्त किया कि उसने ऐसा बयान पुलिस को नहीं दिया था।

7– यह कहना गलत है कि आरोपीगण को बचाने के लिए आज सही बात नहीं बता रहा हूं।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री कुणाल फरिकार अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त उमेश रगड़े</u>

8– कुछ नहीं।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री बृजेश पाण्डेय अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त आकाश दुबे

9— कुछ नहीं।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री सुरेन्द्र महापात्र अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त दुर्गेश डाहरे

10— कुछ नहीं।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री गगन वैष्णव अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त अमित शर्मा

11— कुछ नहीं।

Time-03:15 PM

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया
सही होना स्वीकार किया।

सही/—

(अमित राठौर)
अपर सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छत्तीसगढ)

मेरे निर्देश पर टंकित।

सही/—

(अमित राठौर)
अपर सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छत्तीसगढ)